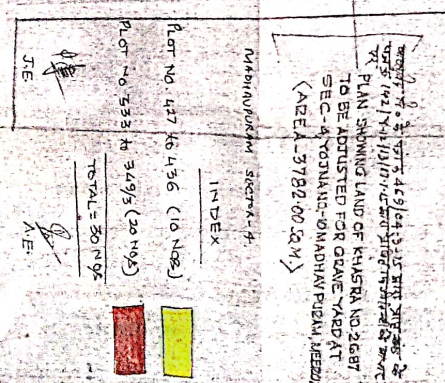
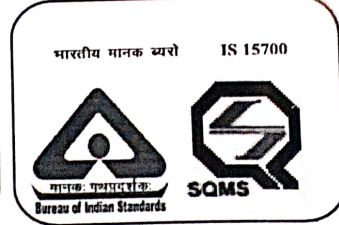


181 HOUSE OF SEWAGE. LOT 5 OF 15, 25
TYPE AREA 2004 1939 - 2000
NOT ALREADY APPROVED ON
DATED 20.12.99

[illegible]

Scanned with OKEN Scanner



पत्रांक-775

/वा0नि0-5 / मेरठ/रेरा/माधवपुरम/72

दिनांक- 18/03/25

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-मेरठ-2,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
ऑफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-9,
शास्त्रीनगर, मेरठ।

विषय:- परिषद की माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ के सेक्टर-4 में 30 नग रिक्त आवासीय भूखण्डों का उ०प्र० रेरा के अन्तर्गत पंजीकरण कराये जाने हेतु स्वीकृत ले-आउट प्लान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

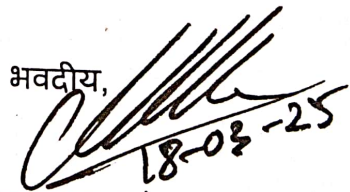
उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-419/अधि०अभि०/नि०ख०मेरठ-2/पी०आर०-11/19 दिनांक-28.02.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से परिषद की माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ के सेक्टर-4 में 30 नग रिक्त आवासीय भूखण्डों का उ०प्र० रेरा के अन्तर्गत पंजीकरण कराये जाने हेतु आवास आयुक्त(म०) के पत्रांक-3844/रेरा पंजीकरण दिनांक-05.12.2024 द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। उ० प्र० रेरा में पंजीकरण कराये जाने हेतु स्वीकृत ले-आउट प्लान अपलोड किया जाना अनिवार्य है। जिस हेतु माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ के सेक्टर-4 का स्वीकृत ले-आउट प्लान पर वैधता दिनांक अंकित करते हुये उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में:-

1. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2018 के प्रस्तर 2.1.5 एवं 3.1.5 के अनुसार ले-आउट प्लान में लाल व हरे रंग से चिन्हांकित सम्पत्तियों के निर्माण हेतु वैधता अवधि रेरा के पंजीकरण हेतु निर्गत की जा रही है।
2. मानचित्र वैधता अवधि दिनांक-17.03.2025 से दिनांक-16.03.2030 तक।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(मुकेश कुमार रुहेला)

वास्तुविद नियोजक

पृ० सं०-775

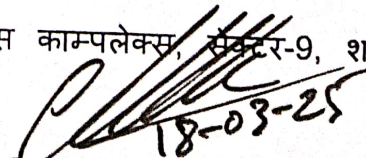
/ उक्त

/ दिनांक-

18/03/25

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (द्वारा मैसेज बोर्ड)

1. उप आवास आयुक्त, मेरठ-जोन, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-9, शास्त्रीनगर, मेरठ।
2. अधीक्षण अभियन्ता-मेरठ, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-9, शास्त्रीनगर, मेरठ।


(मुकेश कुमार रुहेला)
वास्तुविद नियोजक